राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 802/2014/उदयपुर.

सहायक आयुक्त,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स पदम प्रभु एण्टरप्राईजेज, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 15/02/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर (जिसे आगे **'सशक्त अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर द्वारा अपील संख्या 58/वैट/13–14/उदयपुर में पारित आदेश दिनांक 12.12.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें सशक्त अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 23 व 24 के तहत् कर निर्धारण वर्ष 2009–10 के लिये पारित आदेश दिनांक 24.01.2012 में अधिनियम की धारा 58 के तहत् आरोपित शास्ति रूपये 25,698/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया था, जिससे व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आलौच्य अवधि वर्ष 2009–10 में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वांछित विवरण पत्र 10A विलम्ब से दिनांक 24.01.2012 को कर निर्धारण के समय प्रस्तुत किया गया था। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति रूपये 25,698/– आरोपित की गई जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 58 में आरोपित शास्ति को इस आधार पर अपास्त कर दिया गया कि शास्ति आरोपण के पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को बिना नोटिस तामिल कराये एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही शास्ति का आरोपण माननीय राजस्थान कर बोर्ड की **अपील संख्या 1321/2011/जोधपुर मैसर्स बियानी एन्टरप्राईजेज, जोधपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, वृत्त–बी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 26.09.2012** के आलोक में अपास्त होने योग्य होने से अपास्त कर दी गई, जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को अविधिक रूप से अपास्त किया गया है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किये जाने का कथन करते हुए तर्क दिया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को सामान्य पोस्ट से एवं स्पीड पोस्ट से नोटिस भिजवाये गये थे परन्तु कोई जवाब नहीं आने पर धारा 58 में शास्ति को उचित रूप से आरोपित किया गया था। अतः अपीलीय आदेश को निरस्त किया जाने का अनुरोध किया गया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः विभागीय पत्रावली एवं अपीलीय पत्रावली का अवलोकन कर निर्णय किया जा रहा है।

5. कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली के आदेश पत्र दिनांक 24.01.2012 के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को कोई नोटिस जारी करने का उल्लेख नहीं है ऐसी स्थिति में बिना सुनवाई का अवसर दिये अधिनियम की धारा 58 की शास्ति को अपास्त करने में कोई अविधिकता नही की गई है क्योंकि ऊपर वर्णित माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णयानुसार सुनवाई का अवसर दिये बिना शास्ति का आरोपण अविधिक है।

6. कर निर्धारण आदेश के अवलोकन से यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस प्रकरण में विवरण पत्र 10A दिनांक 24.01.2012 को पेश किया गया था एवं दिनांक 15.04.2011 को अधिनियम की धारा 58 को अधिनियम से हटा दिया गया था ऐसी स्थिति में दिनांक 24.01.2012 को अधिनियम की धारा 58 अस्तित्व में नहीं होने से इस धारा के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना स्वतः ही शून्य हो जाता है एवं कर निर्धारण अधिकारी को 24.01.2012 को अर्थात वैट रिटर्न प्रस्तुत करने के दिन प्रचलित प्रावधान अनुसार ही विवरण पत्रों के विलम्ब के संबंध में कार्यवाही की जा सकती थी जोकि वेट नियम 2006 के नियम 19A में लाये गये थे। अतः धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण ही Void होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त किये जाने की पुष्टि की जाती है।

7. फलतः अपील स्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

15/2/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य